3

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2023

विषयः गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय द्वारा प्रस्तावित गुरू श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर उ0प्र0 में बी0 एससी0 नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में सीट वृद्धि हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या- 3913/23, दिनांक 08.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय द्वारा प्रस्तावित गुरू श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर उ0प्र0 में संचालित बी0 एससी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में 60 सीट से बढ़ाकर 100 सीट (40 सीट वृद्धि) प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-4447/71-3-05-141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2- शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार अनिवार्यता/अनापत्ति यह अवधारित करते हुए निर्गत की जा रही है कि इस

हेतु प्रश्नगत संस्था के संबंध में जो तथ्य एवं आंकडे सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, वह सही हैं तथापि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही से पूर्व सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा स्वस्तर से भी इनकी पुष्टि कर ली जायेगी। इस संबंध में किसी भी विसंगति का संपूर्ण उत्तरदायित्व सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ का होगा।

3- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव

Signed by आनन्द कुमार त्रिपाठी
Date: 27-06-2023 16:21:07
Reason: Approved

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्धक, गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय द्वारा प्रस्तावित गुरू श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग , आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव